इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

<u>पुत्रां छ ः 198 / प्रा03ा८ –भवन / जोन–1 / ए०६१० / २०१३ –14 दिशांक (२√१० / २०14</u> ०१

अनुसरि-एत्र (Revise)

४६ अनुगति ए०प्र० कन्तर नियोजन तथा विकास अधिनियम १६७३ कि धारा १४ ० १६ के अर्न्तगत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में लिए पर Revise समूह आवास मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी द्या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकान: अधिकारी पर किसी का कोई असर पहेना अर्थांव यह अनुगति विक्ती के गिलिकवत या स्वानित्य के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेनी।

श्रीमती जाहिदा खातून पत्नी को जनील खॉ एवं श्रीमती निगमत कगाल पत्नी श्री स्थिति कगाल, विकासकर्ता तुल्सियानी कान्सट्रक्यन एण्ड देवलपर्रा लिमिटेड द्वारा नजूल की होल्ड उपविमाणित भूखण्ड संख्या—C-3, C-5 सिविल स्टेशन, एलिंगन रोड, इलाहाबाद (क्षेत्रफल 6688.65 वर्गमीटर) कोन शंख्या (1) को अन्तिक्त संयुक्त कम से वाखिल संशोधित समूह आवास मानवित्र के प्रश्तादित गम वर निर्माण की अनुसति उपाध्यक्ष महोदय की स्टीव्हिं आदेश दिनांक 20—05—2014 के अनुसालन में निमाणिक प्रतिक्रां के स्थीन प्रदान की जादी है .—

1. उठका नगर नियोजन एवं दिकारा अधिनियम 1973 को धारा 15ए (1) के प्राविधानों के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पण प्राप्त होने के पश्चात् ही उपमोग /अधिमांग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास अपविधि 2008 में अपविधि संख्या—2.1.8 एवं 3.1.8 ने निर्धारित प्रक्षिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण पण प्राप्त करेना आदश्यक है।

2. <u>बहु २५)</u>कृष्ठि अनितिम (Pro<u>visional) स्वीकृति के रूप में होगीं। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सकी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्धे पूर्ण करने के पश्यात, निर्मत किये जाने वाले 'पृश्वेत' प्रमुख्य-पाठ' प्रकल करने के बाद ही हुए। पुरिसर को खरदाविक <u>उपयोग में क्राया जा सके</u>ता।</u>

 स्थल पर 4x3 किट का एक बोर्ड लगाकर प्रधिकरण द्वारा स्वीकृत भाषित्र राज्यकी विवरण अंकित करना अनिधार्य होता, जिसमें आर्किटेक्ट/इन्टीनियर के फर्न का दिल में अंकित हो।

 प्रस्तुत क्षेण्ड सकेष प्लान के अनुदार स्थल पर पर्योप्त क्षुक्ष लयाने होने तथा कृषी को हरा-मरा एखने का दावित्व निर्माण / विकासकर्ता / रेजी डेन्ट सोशावदी का होगा

5. रेनेवाटर आवेंस्टिंग प्रणाली मानक के अनुशार पूर्ण कराते हुए मू नर्भ जल विभाग रो अनापरित प्राप्त करना अनिवादी होगा। तत्पश्यःत् ही जमा एकश्डीधआरः) अवगुद्धः किया जायेग ।

 स्थल घर चोलर बाटर हीटींग संयत्र की स्थापना अनिवार्य अप से की जारोगी तथा संयोजन किछन एवं ट्यासेट में आवश्यक २०८ से करना होगा।

7. स्थल पर आन्तिहिक विकास कार्य प्रस्ताहना के अनुसार पूर्ण करते हुए पूर्णता प्रकास एवं प्राप्त करना अनिवार्य होगा, इस हेतु प्रस्तुत कंग्यानुमान में कोई बढ़ोतारी डोती हैं तो उसका भुगतान आनेदक / विकास कर्ता को यहन फरना होया, इस हेतु विये गरे श्वयं पत्र दिनोंक 08.07.2013 का अनुपालन बाध्यकारी होता।

ग्रीन देल्ट / पार्क के अन्तर्गत िवार्ज / तैक एक कोने में बनामा होग ।

उ०त्र० आपार्टनेन्ट एक्ट 2010 एवं रुल्स 2011 को सनस्त प्रमावी नियम एवं शर्व गाल्य होगों।

10. बिरुडर द्वारा दिये जाने याल: श्रोषणा पत्र स्वीकृत मानदिव जाता होने के 15 दिनों के अन्यर चप्रसंख्य कराता अनिवार्य होगा।

11. आवेदक / विकासकर्ताः द्वारा निर्माण ने प्रवृत्त्व शामग्री एवं उत्सत्तित नलवा को अपने पश्चिर में ही रक्ष (द्वारा) इस हेतु विदे गर्द शएक यह दिनंक 08.67.2018 का अक्षरण अनुमादन करना होगा।

12. पूर्णता प्रमाण पत्र प्र. ८ करने के पूर्व उप निदेशक / वीक इलेक्ट्रिकल इन्लेक्टर की अनापीत आपा कर प्रस्तुत करना आवश्यक होता।

Continued

 मुख्य अनि शमन अधिकारी की अनापितः मन्न संख्या—एकिनि/सीएफओ/आई-2(88)/2012 दिनीक 15.09.2012 (ध्रायाप्रति संलयन) में अंकित प्रतिबन्धों का अनुपालन करन होगा तथ निर्माग पूर्ण होने पर अन्तिम अनापरित प्राप्त किया जाना आवश्यक होग ।

14 नगर आयुक्त, नगर निगम की अनापत्ति पत्र संख्या 4730/STCI/13 दिनांक 10.08.2013

(छायाप्रति संलग्न) में अंकित प्रतिबन्धों का अनुपालन करना होगा।

15. र शोधित मानचित्र पूर्व स्वीकृत 84 आवासीय इकाईयो सहित 02 अतिरिक्त अवासीय इकाई कुल 88 आवासीय इकाईयो हेस् है। अतिरिक्त इकाईयो का निर्माण/विमाजन अनुमन्य नही होगा।

- 16. भाननीय न्यायालय में कोई वाद होने अधवा उत्पन्न होने की रिथति में प्रदत्त स्वीकृति माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी। यह रवीकृति भू-रविमन्द का अधिकार प्रदेश नहीं करती है। भू त्वामित्व सम्बन्धी कोई भी विवाद सक्षम न्यायालय/प्राधिकारी द्वारा है निस्तारित किया जा
- 17. यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सबना छिपायी गयी है अधवा गलत सुबना दी गयी है तो चत्रप्र नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (३) के अर्ज्जगत मारचित्र निरस्त करने योग्य होना।
- 18. मुकान निर्माण से यदि नाली के सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी गाग (वो नकान के आग्र भाग, पृष्ठ भाग अथवा उसके आकार के कारण दक गई हो) को हानि पहुँचे तो गुहरवानी तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरन ने एक लिखित सूचना हारा और शीच कहा तो पहले ही उसे अपने खर्च से मरम्मत कराकर गूर्व्यत अवस्था लिसरे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाय, में कर देगा।
- 19. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अविनिध्य 1956 (इण्डियन इलेक्ट्रिरिटी फल्स 1965) नियम 82 का उल्लंधन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्रचिकरण की जनकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्मान को रोक अथवा हटमा सकता 31
- 20. आवेदक को नियमानुसार दिकास प्राविकरण को मकान की नींद तक तथा छत तक बन लाने रवं उराके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आबाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस शादमी का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में नकान निर्मित हुआ है।

21. यदि निर्माण में मास्टर प्लान का जल्लंघन होता पाया तया तो निर्माणकर्ता को दी गई खीकृति रद रांगड़ी जायेगी और किया गया निर्माण अन्धिकृत घेषित कर एका अधिनियम की बारा 27 (1) के अन्तर्गत कार्यवाडी आरम्भ की जायेगी।

रांलग्नकः उपर्युक्तानुसार।

(पृथ्कर श्रीवास्तव)

,OSD/प्रभारी अधिकारी (त0सc-2) इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहादाद